Goods and Services Tax

GST : -

- क्या है
- क्यों और कब लागू हुआ
- Registration Schemes
- Dealers
- प्रकार
- Tax Slab

GST एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस अध्याय में हम इसे सरल शब्दों में और कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप GST के बारे में जान पाएं, किन्तु ध्यान रखें, सरकार समय-समय पर, GST से सम्बंधित कुछ नये amendment (संशोधन) करती रहती है इसलिए आप भी, समय-समय पर, GST से सम्बंधित नई-नई जानकारी लेते रहें |

GST के बारे में समझने के पहले हमें **Tax** के बारे में समझना होगा कि **"Tax** क्या होता है **?"**

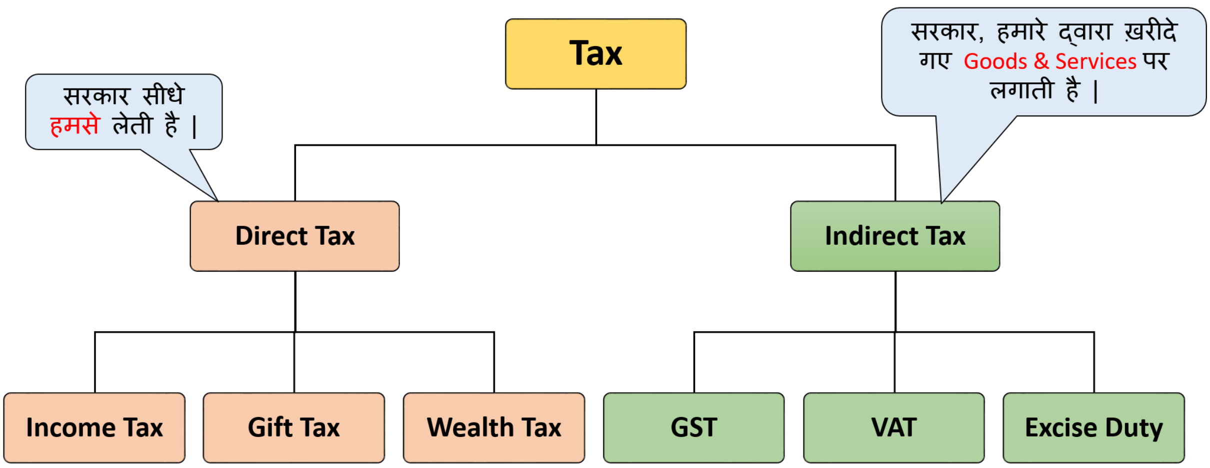

सरकार को देश की प्रगति के लिए जैसे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, आदि के निर्माण के लिए, विकास की योजनाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए रक्षा उपकरणों को खरीदने - बनाने के लिए और इसी तरह अन्य सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के नागरिकों से धन इकट्ठा करती है इसे Tax कहते हैं |

भारत में दो तरह के **Tax** लगते हैं **-**

1. **Direct Tax** (प्रत्यक्ष कर)
2. **Indirect Tax** (अप्रत्यक्ष कर)

1. Direct Tax से तात्पर्य ऐसे Tax से है, जो सरकार, सीधे हम से वसूल करती है, जैसे - Income Tax, Gift Tax, Wealth Tax इत्यादि,
   Direct Tax को समझने के लिए हम आपको Income Tax का उदाहरण दे रहे हैं -
   Income Tax हमारी आय के ऊपर लगने वाला Tax है | इसके अंतर्गत हमें, किसी निश्चित सीमा के बाद, हमारी जो भी आय होती है, उस पर, किसी निश्चित दर से, सीधे सरकार को Tax देना होता है |

2. Indirect Tax से तात्पर्य ऐसे Tax से है, जो सरकार, सीधे हमसे वसूल नहीं करती, बल्कि जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं या किसी से कोई सेवा (Service) लेते हैं, और उसके बाद, वह व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर, जब हमें उसका बिल देता है, तो उसमें, माल या सर्विस के मूल्य के साथ, कुछ Tax भी जोड़ता है, और बाद में, वह व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर, हमसे वसूला गया Tax सरकार को देता है | इस तरह के Tax को Indirect Tax कहते है | इसके अंतर्गत GST, VAT, Excise Duty इत्यादि आते हैं |

चलिए अब समझते हैं **- "GST क्या है ?"**

GST का फुल फॉर्म है - **"Goods and Services Tax"**

यह तीन शब्दों से मिलकर बना है -

Goods अर्थात् माल या वस्तुएँ,
Services यानी सेवाएँ और
Tax यानी कर |

इस तरह **Goods and Services Tax** का अर्थ हुआ -

"माल/वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर |"

अब सवाल ये है - "वस्तुओं और सेवाओं पर तो पहले से ही **Tax** लगते आ रहे हैं तो फिर **GST** की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके क्या लाभ है **?"**

तो इसको लगाने के कुछ मुख्य कारणों को समझ लेते हैं -

पहला कारण **-**
GST लागू होने से पहले, हमारे देश में, व्यवसाय की प्रकृति के हिसाब से, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, कई तरह के Tax लगाती थी, इन्हें समाप्त करके, एक Tax लगाना था |
सरकार ये Tax किस तरह लगाती थी इसे समझने के लिए हम व्यवसाय को तीन मुख्य श्रेणियों में बाँट रहे हैं -

1. **Manufacturers -** ऐसे Dealers या कंपनियां जो, कच्चा माल खरीद कर, उससे, उपयोग करने लायक माल या वस्तुओं का निर्माण करते हैं और फिर उस तैयार माल को, अपने व्यापारियों या ग्राहकों को बेचते हैं, तो इस प्रकार के Dealers या कंपनियां, Manufacturers की श्रेणी में आते हैं।

2. **Traders -** Traders से तात्पर्य ऐसी कंपनियों या Dealers से है जो केवल, माल का व्यापार करते हैं यानी तैयार माल खरीदते हैं और Profit लेकर उसे बेच देते हैं | यहाँ माल से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसका हम व्यापार करते हैं, जैसे कि कोई व्यापारी, कपड़े का व्यापार करता है तो कपड़ा उसके लिए माल है |

3. **Service Provider -** Service Provider से तात्पर्य ऐसी कंपनियों से है जो केवल सेवा यानी Service देने का काम करती है, जैसे - टेलीकॉम सर्विसेज़, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ, एडवरटाइज़समेंट सर्विस, इंस्टॉलेशन सर्विस, आदि |

तो इस प्रकार हमने देखा कि कार्य के आधार पर व्यवसाय को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है |

जब भारत में GST लागू नहीं हुआ था उस समय, इन कंपनियों या डीलर के Nature, और माल के आधार पर, अलग-अलग तरह के Tax लगते थे | जैसे -
- माल के उत्पादन पर Excise Duty
- माल के विक्रय पर VAT (Value Added Tax) और CST (Central Sales Tax)
- Service Provider पर Service Tax, इत्यादि |

सरकार ने 1 जुलाई 2017 को इन सारे Tax को समाप्त करके इनके स्थान पर एक Tax "GST" लगा दिया |
इसमें अभी कुछ अपवाद भी हैं जैसे - Diesel, Petrol, शराब इत्यादि पर अभी भी VAT व अन्य Tax ही लग रहे हैं, अभी इन्हें GST में नहीं लिया गया है |

देश में कई तरह के Tax थे और प्रत्येक Tax के लिए व्यापारी को अलग-अलग कागज़ी खानापूर्ती करना होती थी, बल्कि कई तरह के व्यवसायियों को जैसे Manufacturers को तो Purchase Tax, Excise, VAT, Cetntral Sale Tax, सभी देना होते थे और इन सभी के लिए तरह- तरह के कागज़ी रिकॉर्ड भी रखना पड़ते थे, ये सब करना, व्यवसाय करने वालों के लिए एक बड़ा भारी सिरदर्द था | GST आने के बाद इस तरह की अलग-अलग कागज़ी खानापूर्ति समाप्त हो गई है | अब व्यवसायी को सिर्फ GST का एक ही रिकॉर्ड रखना होता है | साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि GST इतना सरल है कि इससे सम्बन्धित सभी कार्य व्यापारी खुद, बगैर किसी की मदद के, आसानी से कर सकते हैं **|**

दूसरा कारण **-**

इसकी अवधारणा है - **"One Nation One Tax -** यानी कि एक देश**,** एक कर **|"** जिससे पूरे देश में एक जैसे कर प्रणाली हो |

आइये इसे समझ लेते हैं **-**

हमारे पूरे देश में, अलग-अलग राज्य सरकारे, एक ही आइटम पर, अलग-अलग दर से Tax लगाती थी, उससे यह होता था कि एक ही आइटम, अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग मूल्य पर मिलता था | जिस स्टेट में Tax Rate कम होता था, वहां माल का मूल्य भी कम होता था और जिस स्टेट में Tax Rate ज्यादा होता था, वहां उस माल का मूल्य भी अधिक होता था |

उदाहरण के लिए एक TV बनाने वाली कंपनी, पूरे देश में, अपने distributors के द्वारा, 10,000 रुपये में एक TV बेचती थी, इस मूल्य में Value Added Tax (VAT) अलग से लगता था जो कि उत्तर प्रदेश में 25 %, तथा मध्यप्रदेश में 15 % था, तो ग्राहक को एक ही कंपनी का, एक ही प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में 12500 में तथा मध्यप्रदेश में 11500 में मिलता था | GST लागु करके सरकार का उद्देश्य इस विसंगति को दूर करना था |

इस तरह के Tax डिफरेंस के कारण जिस state में Tax Rate कम होता था, कई व्यापारी वहाँ से माल खरीदकर, जिस state में Tax Rate ज्यादा होता था वहाँ बगैर बिल के माल बेचते थे | बिना बिल के माल बेचने से मतलब है Tax चोरी करना, और यही कारण था कि जिस राज्य में Tax Rate ज्यादा होता था वहां Tax चोरी भी बड़े स्तर पर होती थी |

इसे भी उदाहरण से समझ लेते हैं **-**

कई व्यापारी मध्य प्रदेश से 11,500 में TV खरीदते थे और उत्तर प्रदेश ले जाते थे | ले जाने का खर्च 100 रूपये आता था और वे उस TV को 400 रूपये का मुनाफा लेकर 12,000 रुपये में उत्तर प्रदेश में बेच देते थे | इस तरह TV बेचने पर वे बिल नहीं देते थे |

इसका बड़ा नुकसान उत्तरप्रदेश के ईमानदार व्यापारीयों को होता था, जो कि 10,000 रु. का TV और उस पर UP Govt का 25% VAT, 2500 रूपये, यानी कुल 12500 में एक TV बेचते थे, जबकि बिना बिल का TV 12000 में बिक रहा था ऐसे में ईमानदार व्यापारी का माल कैसे बिकेगा ? और बस यही कारण था कि ईमानदार व्यापारी दुखी था, साथ ही इसका एक बड़ा नुकसान यह भी था कि UP में माल बिकने के बावजूद भी, Tax, UP सरकार को नहीं मिलता था | यही हालात देश के अन्य राज्यों के भी थे |

GST आने के बाद देश के सभी राज्यों में, किसी भी प्रोडक्ट पर लगने वाला Tax एक समान हो गया है | अब आप देश के किसी भी राज्य में, कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, उस पर एक ही Tax Rate है, जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर पूरे देश में 18 % Tax Rate है |

बस यही कारण है कि बगैर बिल का कारोबार समाप्त हो गया है जिससे ईमानदार व्यापारी भी खुश है और समान Tax होने से, जिस प्रदेश में माल बिक रहा है, टैक्स भी उसी प्रदेश की सरकार को मिल रहा है |

अब बात करते हैं कि **"GST Number** किसे लेना आवश्यक है **|"**
GST Number के लिए भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों को दो कैटेगरी में बांटा है -

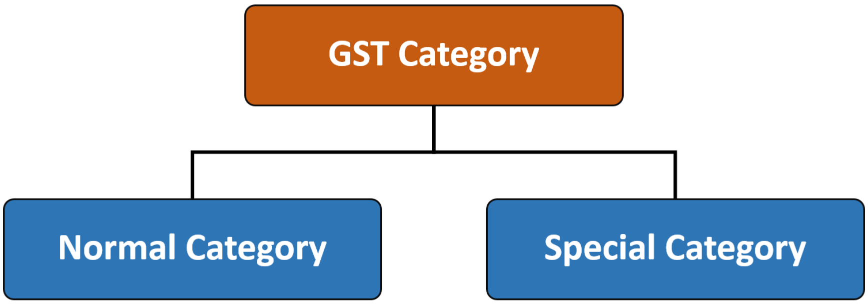

1. **Normal Category** और
2. **Special Category**

1. **Normal Category -**
   अगर किसी व्यापारी के माल का turnover, किसी फाइनेंशियल ईयर में अर्थात् किसी वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि में 40 लाख हो जाता है तो उस व्यापारी को GST number लेना अनिवार्य है |
   Service Provider के लिए turnover की यह लिमिट 20 लाख रुपये है |

   इसके अंतर्गत आने वाले राज्य -
   केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, दादरा और नगर

हवेली एवं दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम और तेलंगाना |

इसमें तेलंगाना के डीलर्स को यह छूट दी गई है कि वे चाहें तो Normal Category में जाएँ और चाहें तो Special Category में जा सकते हैं |

2. **Special category -**
अगर किसी व्यापारी के माल का turnover किसी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से अधिक हो जाता है तो उस व्यापारी को GST Number लेना अनिवार्य है, इसी तरह Service Provider के लिए यह लिमिट 10 लाख रुपये है |

इसके अंतर्गत आने वाले राज्य **-**
पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड |

अब यहाँ आपके मन में एक सवाल होगा कि **"Turnover"** क्या होता है ? आइये इसे भी समझ लेते हैं -

Turnover -
आपके व्यापार में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो total sales होगा अर्थात सभी तरह के सेल्स, जैसे - Cash Sales, Credit sales मिलाकर चाहें वे taxable हों, exempted हों या अन्य किसी भी तरह के हों, उन सभी को मिलाकर उस वर्ष का Turnover कहलायेगा |

उपरोक्त लिस्ट में आप अपने राज्य का नाम और बताये गये Turnover को देखकर यह निर्णय कर सकते हैं कि आपको GST Number लेना जरूरी है या नहीं | यदि लेना है, तो किस केटेगरी में ?
यदि आपका टर्नओवर पहले बताए अनुसार नहीं है और फिर भी आप GST नंबर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं |

GST रजिस्ट्रेशन के लिए कितने प्रकार की **Schemes** है **-**

यदि आपको GST Number चाहिए तो उसके लिए आपको GST Registration करवाना होगा | GST Registration की दो Schemes है -

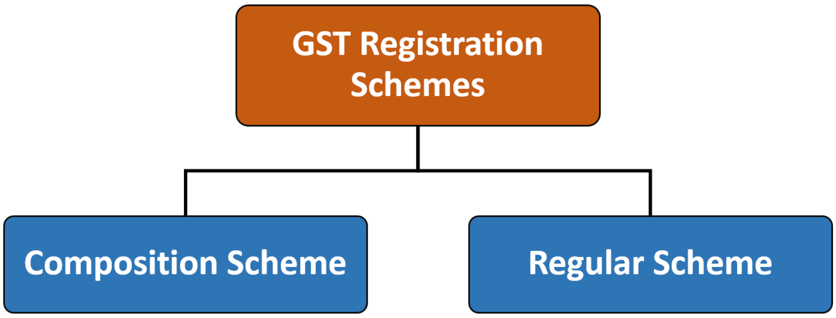

1. **Composition Scheme**
2. **Regular Scheme**

आप अपने business की जरूरत के हिसाब से, इनमें से, किसी में भी अपना registration करवा सकते हैं |

चलिए हम इन दोनों **Schemes** को विस्तार से समझ लेते हैं **-**

पहले बात करते हैं **Composition Scheme** के बारे में **:**
Composition Scheme छोटे व्यापारियों के लिए है इसे भी तीन भागों में बांटा गया है -

1. **Manufacturers and Traders**
2. **Restaurant** जहां पर **Alcohol** सर्वे नहीं किया जाता है
3. **Service Providers**

Manufacturers और **Traders** के लिए **Composition Scheme -**
इसके अंतर्गत वे डीलर्स आते हैं जो किसी भी तरह के माल का निर्माण करते हैं या व्यापार करते हैं | इसके अंतर्गत आने वाले व्यापारी के Turnover की अधिकतम लिमिट, किसी financial year में 1.50 करोड़ है अर्थात् उसका टर्नओवर 1.50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए | यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि North-Eastern States यानी उत्तर-पूर्वी राज्यों और Uttarakhand के लिए यह लिमिट 75 लाख रूपये है |

Service Providers के लिए **Composition Scheme -**
इस scheme में वे डीलर्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जो service (सेवा) देने का काम करते हैं | service providers के turnover की लिमिट 50 लाख है अर्थात उसका टर्नओवर किसी financial year में 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए |

Composition Scheme लेने के बाद, आपकी कंपनी पर लागू होने वाले नियम **-**

1. इस स्कीम में आने वाला व्यापारी केवल अपने राज्य में ही माल बेच सकता है यानी राज्य के बाहर माल नहीं बेच सकता | हाँ, वह अपने राज्य से और दूसरे किसी भी राज्य से माल, खरीद जरुर सकता है |

2. **No ITC Available** - Composition Scheme में व्यापारी को, कभी भी, Input Tax Credit अर्थात **ITC** का लाभ नहीं मिलता है **|**

   अब इसको समझने के लिए, पहले समझना होगा कि **"Input Tax Credit"** का मतलब क्या होता है ?

   जब भी कोई डीलर Goods या Service purchase करता है तो उस purchase पर GST भी देता है, और जब वह Govt को अपना GST pay करता है तब खरीद पर दिए गए Tax की छूट लेता है तो इस तरह की मिलने वाली छूट को ITC यानी Input Tax Credit कहते हैं | Composite Dealer के मामले में, purchase पर चुकाए गए Tax की छूट नहीं मिलती |

   जैसे - किसी Composite Dealer ने 10,000 में एक TV खरीदा, जिस पर 1800 रुपये GST दिया, अब, जब वह अपना GST भरेगा तो उसमें purchase पर दिये गये GST के 1800 की छूट नहीं ले सकता |

3. **No GST Charge** - Composition Scheme में रजिस्टर्ड डीलर, जो भी sale करता है, उस **sale** पर**,** वह ग्राहक से **GST** वसूल नहीं कर सकता अर्थात वह बिल में GST लगा कर goods और service नहीं बेच सकता |

   जैसे कि उसने 10000 में एक TV खरीदा, जिस पर 1800 रूपये GST चुकाया | इस तरह से उसने सप्लायर को कुल 11800 रूपये का पेमेंट किया, फिर इसमे अपना प्रॉफिट 1200 रूपये जोड़कर, उस TV को 13000 में बेच दिया | अब वह इस 13,000 पर ग्राहक से किसी तरह का GST नहीं ले सकता |

4. Composition Scheme में **Manufacturer** और **Traders (goods)** को अपने कुल सेल का **1%, Restaurants,** जहाँ पर **Alcohol** सर्व **(serve)** नहीं किया जाता है**,** उनको **5%** और **Service Provider** को **6%** का **GST,** अपने पास से भुगतान करना पड़ता है **|**

   जैसा की अभी हमने आपको बताया था कि Composite Dealer ने 13,000 में एक TV बेचा और यदि वह Trader की श्रेणी में आता है तो उसे, 13,000 पर 1% यानी 130 रु GST भरना होगा, और जैसा की हम आपको पहले ही बता चुके है, Trader यह GST ग्राहक से वसूल नहीं कर सकता, यह उसे अपने पास से ही भरना होगा |

5. Composition Scheme में उसे बिल के ऊपर **Bill of Supply** लिखकर देना होता है**,** जिससे ग्राहक को मालूम पड़ सके कि उसने जिससे माल ख़रीदा है वह Composition Dealer है |

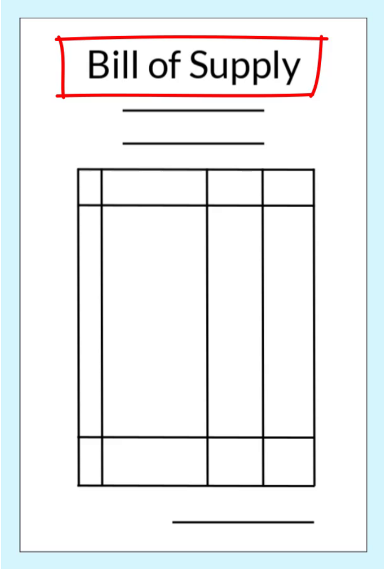

6. Composition Scheme में व्यापारी को **quarterly** यानी तीन माह में एक बार **Tax** का भुगतान करना होता है |

7. Composition Scheme में व्यापारी को प्रत्येक बिल का हिसाब नहीं रखना होता है क्योंकि उसने ग्राहक से कोई Tax ही नहीं वसूला है तो फिर सरकार उससे प्रत्येक बिल का हिसाब क्यों ले, उसे तो केवल हर तीन माह में **GST CMP-08** और वर्ष में एक बार **GSTR-4 return file** करना होता है **|** यहाँ return से तात्पर्य है - आपने जो भी Transactions किए हैं उनकी समरी देना है |

अभी हमने **Composition Scheme** के बारे में बात की, आइये अब **Regular Scheme** के बारे में समझ लेते हैं **-**

Regular Scheme में turnover की कोई अधिकतम सीमा नहीं है तथा इसके अंतर्गत आने वाला व्यापारी, राज्य के अन्दर और राज्य के बाहर, दोनों स्थान पर माल, खरीद और बेच सकता है |

Regular Scheme लेने के बाद, आपकी कंपनी पर लागू होने वाले नियम **-**

1. Regular Scheme के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों द्वारा जो भी माल या सेवाओं की खरीदी की जाती है और उस खरीद पर जो भी **GST** चुकाया जाता है उसका **ITC (Input Tax Credit)** प्राप्त हो जाता है **|** इसका मतलब ये हुआ कि Govt को tax pay करते समय, खरीद पर दिए गए GST की छूट मिलती है |

2. Regular Scheme के अंतर्गत आने वाला व्यापारी, जो भी माल, अपने ग्राहक को बेचता है**,** उस पर वह ग्राहक से **GST** वसूलता है **|** इस तरह sale पर वसूल किए गए GST को Output GST कहा जाता है |

3. इस Scheme में डीलर अपने sale के output GST से Purchase के input GST अर्थात Input Tax Credit को घटाता है और इनके डिफरेंस का भुगतान सरकार को करता है, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि वह अपने सेल पर वसूले गये **GST** में से **Purchase** के पर दिये गये **GST** को कम करके, बकाया **GST** का भुगतान सरकार को करता है **|**

इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं -

मान लीजिए आप एक Regular Scheme में रजिस्टर्ड डीलर है और आपने एक TV, 10,000 रु. मूल्य का खरीदा, जिस पर 18% से 1,800 रु. GST दिया अर्थात TV के लिए कुल 11,800 रु. का भुगतान किया, अब इस TV का आपने 10,000 के पर 3,000 प्रॉफिट लेकर 13,000 रु. में बेचा, जिस पर ग्राहक से 2,340 रु. GST भी वसूला अर्थात कुल 15,340 रु. लिए, इसमें 2,340 **Output GST** कहलाएगा और 1,800 **Input GST** कहलाएगा और आपको इन दोनों का डिफरेंस यानी केवल 540 रु. ही सरकार को देना होगा | इस तरह GST pay करने का फार्मूला हुआ -

Output GST - Input GST = GST Payable

Output GST - ***Input GST*** = ***GST Payable***

4. Regular Scheme के अंतर्गत व्यापारी, अपने ग्राहकों से, GST अलग से वसूल करता है इसलिए उसे सरकार को बताना होता है कि उसने किस बिल पर, कितना Tax वसूला है अर्थात उसे प्रत्येक बिल का हिसाब देना होता है **|**

5. Regular Scheme में व्यापारी, अपने ग्राहक को, जो **invoice** देता है उस पर **Tax Invoice** लिखा होना चाहिए **|**

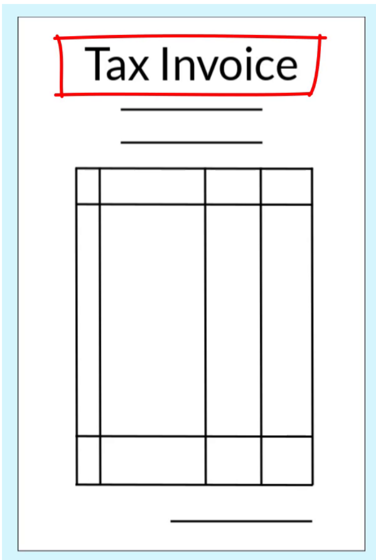

6. इसमें व्यापारी को प्रत्येक माह **Tax** जमा करना होता है **|**

7. इसमें व्यापारी को कुछ रिटर्न्स, जैसे **GSTR - 3 B** और **GSTR-1** फाइल करना होते हैं **|** यदि व्यापारी का टर्नओवर **5** करोड़ से ज़्यादा है तो प्रतिमाह और यदि **5** करोड़ से कम है तो **quartely, GSTR-3B** और **GSTR-1** भरना होते हैं, इसी तरह कुछ और रिटर्न्स भी हो सकते हैं जिन्हें अलग-अलग कंडीशन के हिसाब से भरना होते हैं |

यहाँ पर हमने आपको **GST** के रजिस्ट्रेशन की दोनों स्कीम्स **- Composition** और **Regular** स्कीम के बारे में बता दिया है **|**

अब देखते हैं **- "GST** के लिए डीलर्स को **Registration** कहाँ और कैसे करवाना होता है **?"**

सरकार ने "**One Nation One Tax**" के रूप में GST को लागू कर दिया है साथ ही इस Tax की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए Goods and Services Tax Network बनाया है, जिसे शार्ट में GSTN कहते हैं |

GSTN ने एक GST पोर्टल **www.gst.gov.in** बनाया है, इस पोर्टल पर डीलर्स स्वयं, GST से संबंधित अपने सभी कार्य online कर सकते हैं | इसके लिए उन्हें पोर्टल पर Registration करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाने पर उन्हें एक GST Identification Number दिया जाता है जिसे संक्षेप में GSTIN कहा जाता है |

ध्यान रखें**, GSTIN (GST Number) PAN Card** के आधार पर ही मिलता है**,** बिना **PAN Card** के रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते **|**

GST रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी फर्म जिस भी तरह की है, जैसे - Proprietorship, Partnership, HUF या Company, उसके nature के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट submit करना होंगे |

आइये अब समझते हैं **- "GST Number** का **Format** कैसा होता है **?"**

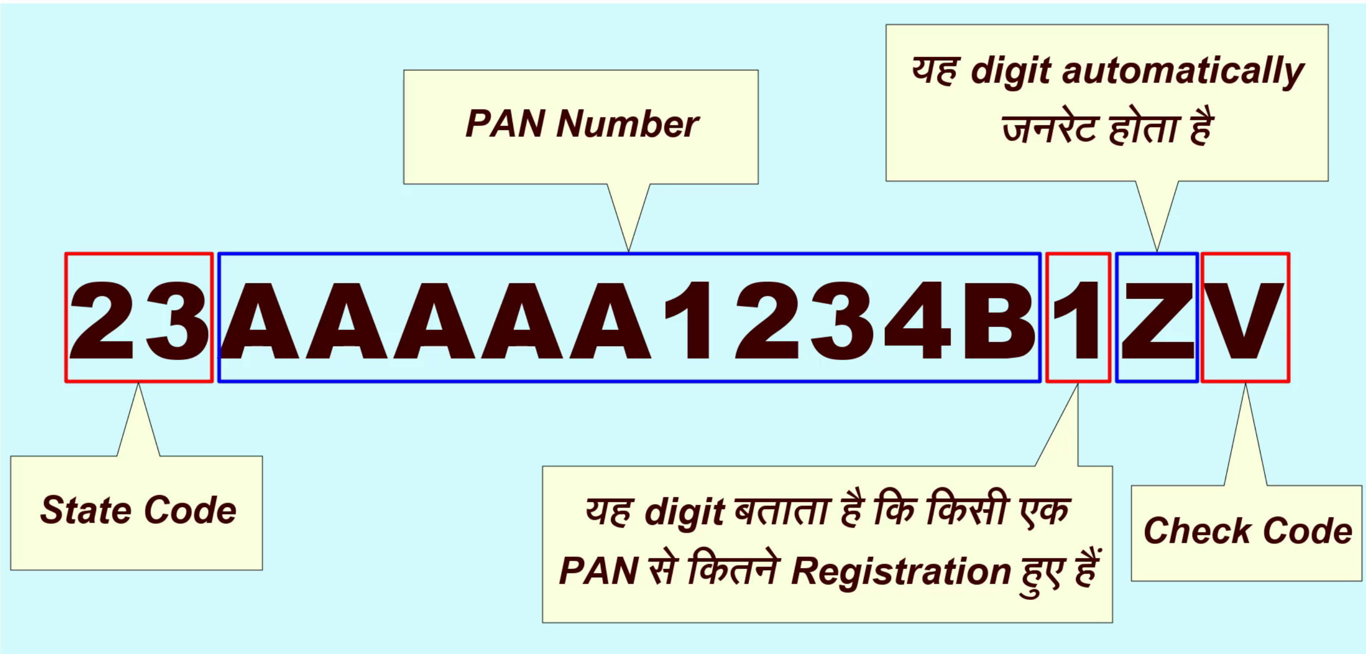

GST Number 15 डिजिट का होता है, जिसमें आगे के 2 डिजिट State Code होते हैं, जैसे कि हम मध्य प्रदेश के व्यापारी हैं तो यहाँ हमारा State Code 23 आ रहा है, फिर ये 10 digit हमारे PAN के होते हैं, तेरहवें नंबर का डिजिट हमें, यह बताता है कि किसी एक PAN से कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, चौदहवें नंबर पर जो डिजिट है वह automatically generate होता है और last डिजिट को Check Code कहा जाता है जो error को detect करता है |

अब देखते हैं **- "GST Number** कितने दिन में मिलता है **?"**

GST Registration के लिए ऑनलाइन Apply करने के बाद आपको एक Reference Number दिया जाता है, जिसकी सहायता से आप GST Portal पर अपनी स्थिति देख सकते हैं। अगर GSTN (Goods & Services Tax Network) को कोई आपत्ति नहीं होती है तो तीन से चार दिनों के अन्दर आपके Email और Mobile Number पर GSTIN अर्थात GST Number जारी कर दिया जाता है।

आइये अब देखते हैं **- "GST** में कितने प्रकार के डीलर्स होते हैं **?"**

GST में दो प्रकार के डीलर्स होते हैं **-**

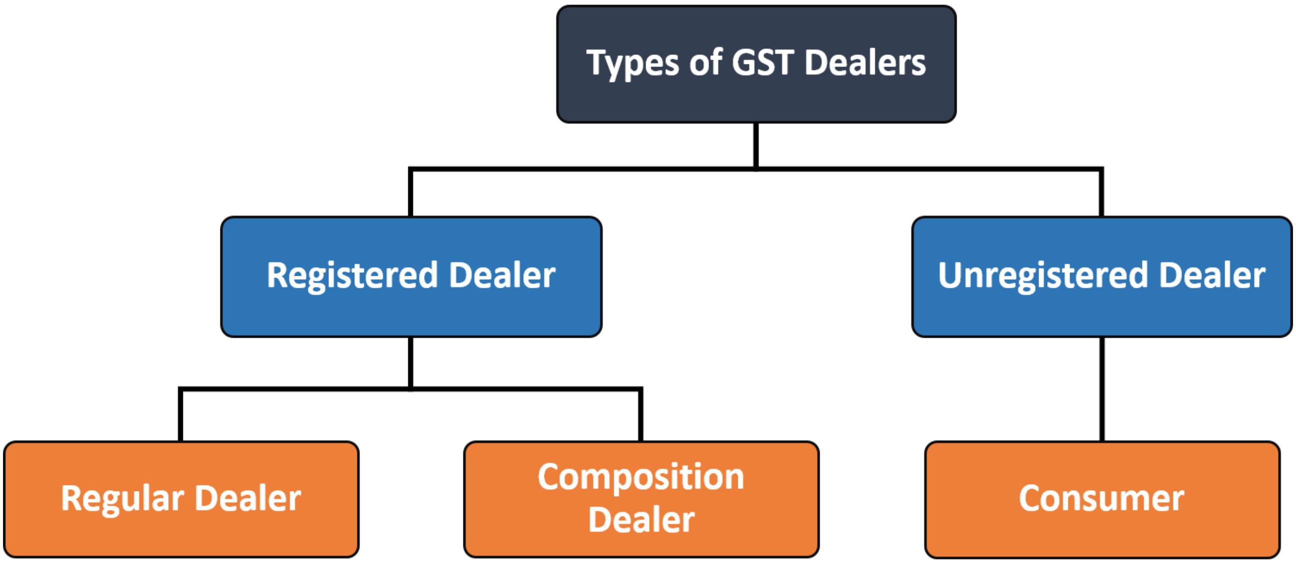

1. **Registered Dealer**
2. **Unregistered Dealer**

1. **Registered Dealer -**
   Registered Dealer से तात्पर्य है ऐसे व्यापारी, जो GST Number लेते हैं अर्थात GST का Registration करवाते हैं |

   इसके भी दो प्रकार होते हैं - जैसा की हमने आपको पहले बताया था यदि व्यापारी ने Registration करते वक्त Regular Scheme ली है तो वह **Regular Dealer** कहलाता है और यदि उसने Composition Scheme ली है तो वह **Composite Dealer** कहलाता है |

2. **Unregistered Dealer -**
   Unregistered Dealer उन्हें कहते हैं जिन्होंने GST Number नहीं लिया होता है, यानी customers या कोई बहुत ही छोटे व्यापारी | वैसे सरकार इन दोनों को ही Consumer मानती है |

आइये अब बात करते हैं **- “GST** कितने प्रकार के होते हैं **?”**

अभी तक हमने GST क्या है ? इसमें कितनी Schemes होती है ? और कितने प्रकार के Dealers होते हैं ?, इत्यादि अनेक जानकारी प्राप्त की |

अब बात करते हैं **- “GST** कितने प्रकार का होता है **?”**

ये तीन प्रकार के होते हैं **-**

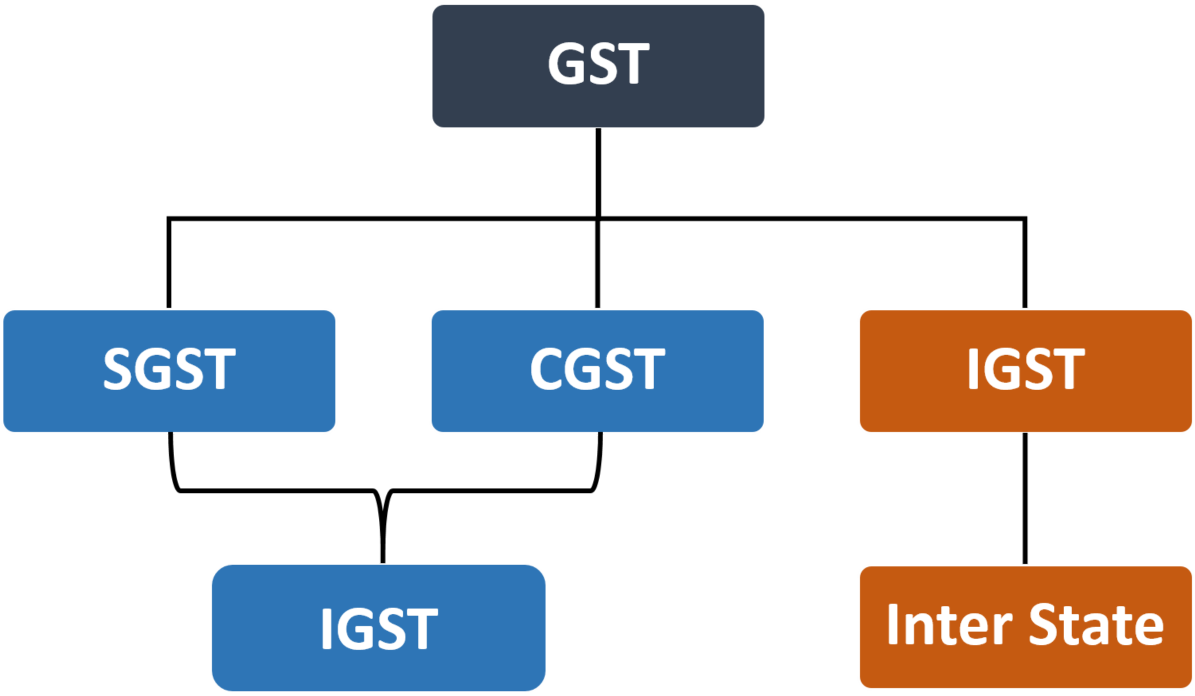

1. **SGST यानी State GST,**
2. **CGST यानी Central GST और**
3. **IGST यानी Integrated GST**

जब कोई **Regular Dealer,** अपने ही राज्य में**,** किसी को माल बेचता है या किसी **Regular Dealer** से माल खरीदता है तो इस माल के क्रय और विक्रय पर **SGST** और **CGST** लगाया जाता है| राज्य के अन्दर इस प्रकार के क्रय-विक्रय को **Intrastate Purchase/Sale** कहते हैं **|**

मान लीजिए किसी Registered Dealer ने 1,000 रुपए का माल बेचा | जो माल बेचा है उस पर, 18% GST applicable है तो Registered Dealer उस ग्राहक से 1,000 रुपये माल के और 180 रुपये Tax के लेगा, यानी कुल 1,180 रुपये लेगा |

यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें की अपने ही राज्य में माल बेचने पर इस Tax के दो हिस्से हो जाते हैं, जिसमें आधा यानी कि 9% CGST (Central Goods and Service Tax) और आधा 9% SGST (State Goods and Service Tax) में विभाजित हो जाता है |

तो बिल इस प्रकार बनेगा -

माल का मूल्य - **1,000 रु.**
SGST @ 9% - 90 रु.
CGST @ 9% - 90 रु.
कुल - **1,180 रु.**

कहने का तात्पर्य यह है कि अपने राज्य में लेनदेन होने पर, GST का आधा हिस्सा, State Government के पास, SGST के रूप में तथा आधा हिस्सा, Central Government के पास CGST के रूप में चला जाता है |

ध्यान रखें, जो व्यापारी Union Territory में आते हैं, जैसे - अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप इत्यादि में, तो वे अपने सेल्स पर SGST के बजाय UTGST लगाते हैं |

इसी तरह जब कोई Regular Dealer, एक राज्य से दूसरे राज्य में, किसी व्यापारी को माल बेचता है या किसी Regular Dealer से माल खरीदता है तो इस माल के क्रय और विक्रय पर केवल IGST लगाया जाता है|

एक राज्य से दूसरे राज्य में इस प्रकार के क्रय-विक्रय को Interstate Purchase/ Sale कहते हैं |

मान लीजिए किसी Registered Dealer ने दुसरे राज्य में, 1,000 रुपए का माल बेचा, जो माल बेचा है उस पर, 18 % GST applicable है |

तो उसका बिल इस प्रकार बनेगा -

माल का मूल्य - **1,000 रु.**
IGST @ 18% - 180 रु.
कुल - **1,180 रु.**

ये जो IGST है, वह, Central Government के पास जाता है और बाद में, Central Government उसके दो भाग करती है, एक वह स्वयं रखती है और एक भाग उस State Government को देती है जिस State में वह माल बिका है |

आइए अब बात करते हैं **- "GST** के अंतर्गत आने वाले **Tax Slab** की"

"कौन सी वस्तु पर कितना Tax लगेगा" ये निश्चित करने के लिए सरकार ने, GST के अंतर्गत आने वाले Goods और Services पर, उनके उपयोग के हिसाब से, अलग-अलग समूहों में बांटकर Tax Rate निश्चित किए हैं, जिन्हें Tax Slab कहते हैं |

सरकार ने **GST** के अंतर्गत **0%, 5%,12%,18%** और **28%** के **Tax Slab** निश्चित किये हैं |

दो चित्र के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि सरकार ने, कौन से आइटम्स पर, कितने प्रतिशत Tax लगाया है -

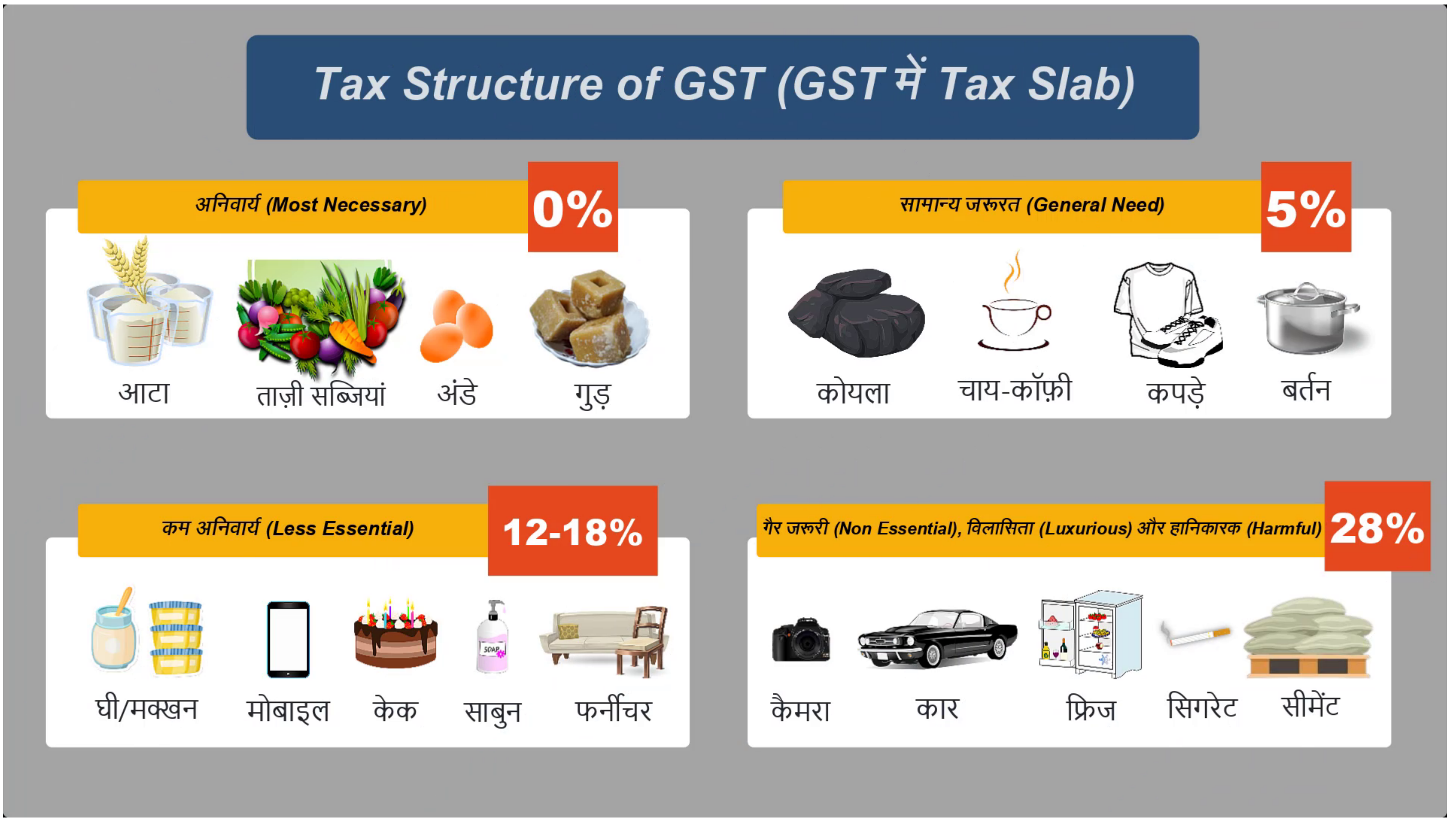

Goods (वस्तुओं) पर GST के Tax Rate

Tax Rate	Products
0 %	दूध, बिना ब्रांड का आटा, बिना ब्रांड का मैदा, गुड़, अंडे, काजल, दही, लस्सी, बिना पैकेट वाला अनाज, बेसन, प्रसाद, बिना ब्रांड का प्राकृतिक शहद, ताजी सब्जी, गुड़, नमक, फूल वाली झाड़ू, आदि।
5 %	घरेलू सामान जैसे खाद्य तेल, चीनी, चाय, मसाले, कॉफी, पैक पनीर, कोयला, किशमिश, घरेलू LPG, PDS मिट्टी का तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, काजू, 500 तक के जूते, बच्चों के लिए दूध का भोजन, 1000 तक के कपड़े, चटाई और फर्श को ढंकना, भारतीय मिठाइयाँ और जीवन रक्षक दवाएं आदि।
12 %	कंप्यूटर, processed खाद्य पदार्थ, मक्खन, घी, बादाम, मोबाइल, फलों का रस, छाता, फल, मेवा और अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम आदि।
18 %	आइस-क्रीम, पास्ता, सूप, कैपिटल गुड्स, औद्योगिक बिचौलिए और Personal Care items (जैसे - हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन) आदि।
28 %	छोटी कारें, लग्जरी कारें, टिकाऊ वस्तुएं (जैसे - फ्रिज और AC) आदि।